



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक – 03.01.2023

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 03.01.2023 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

1470 नशीली गोलियों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार थाना सम्भल-

आज दिनांक 03.01.2023 को थाना कोतवाली सम्भल पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्त 1.शाजेब, 2.शानू, 3.गुफरान जो हसनपुर रोड मौ० हल्लू सराय चामुण्डा मन्दिर तिराहे पर संदिग्ध हालत में कहीं जाने की फिराक में खड़े थे। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गयी तो अभि० शाहजेब द्वारा बताया कि मैं थाना सम्भल का हिस्ट्रीशीटर अपराधी हूँ। पुलिस द्वारा सतर्कता पूर्वक बारी बारी से तीनों अभियुक्तगणों की तलाशी ली गयी तो अभि० शाजेब उपरोक्त से 590 गोलियां नशे की तथा अभि० शानू उपरोक्त से 460 गोलियां नशे की व अभि० गुफरान से 420 गोलियां नशे की बरामद हुयी। अभि० गणों से बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 02/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. शाजेब पुत्र जुम्मा निवासी मौ० पंजू सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल।
2. शानू पुत्र भूरा उर्फ तहसीम निवासी मौ० हिलाली सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।
3. गुफरान पुत्र मेराज निवासी मौ० महमूद खां सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाजेब उपरोक्त-

1. मु०अ०सं०-66/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सम्भल।
2. मु०अ०सं० 67/2019 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना सम्भल।
3. मु०अ०सं० 177/2019 धारा 379/411 भादवि थाना सम्भल।
4. मु०अ०सं० 178/2019 धारा 379/411 भादवि थाना सम्भल।
5. मु०अ०सं० 179/2019 धारा 420/411/413/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना सम्भल।
6. मु०अ०सं० 256/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सम्भल।
7. मु०अ०सं० 256/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सम्भल।
8. मु०अ०सं० 371/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सम्भल।
9. मु०अ०सं० 58/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सम्भल।
10. मु०अ०सं० 13/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सम्भल।
11. मु०अ०सं० 02/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सम्भल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शानू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 352/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सम्भल ।
2. मु0अ0सं0 88/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सम्भल ।
3. मु0अ0सं0 02/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सम्भल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुफरान उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 273/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सम्भल ।
2. मु0अ0सं0 02/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सम्भल ।

गिरफ्तारी का स्थान –

हसनपुर रोड मौ0 हल्लू सराय चामुण्डा मन्दिर तिराहे के पास क्षेत्र चौकी सरथल थाना सम्भल ।

बरामदगी का विवरण-

1. अभि0 शाजेब उपरोक्त के कब्जे से 590 नशे की गोलियाँ बरामद ।
2. अभि0 शानू उपरोक्त के कब्जे से 460 नशे की गोलियाँ बरामद ।
3. अभि0 गुफरान उपरोक्त के कब्जे से 420 नशे की गोलियाँ बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमकार सिंह थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल ।
3. हे0का0 रुचिन कुमार थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल ।
4. का0 रजत शर्मा थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल ।
5. का0 पीयूष शर्मा थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल ।

चोरी की 01 मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना ऐचोडा कम्बोह-

आज दिनांक 03.01.2023 को थाना ऐचोडा कम्बोह पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त सलमान ग्राम चितावली मोड के पास से चोरी की हुई एक मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्लस जिस पर रजि0नं0 DL 5 SCD 5430 की फर्जी नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना ऐचोडा कम्बोह पर मु0अ0सं0 03/23 धारा 411/414/420/464/471 भादवि पंजीकृत किया गया ।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं मोटर साइकिल का मिस्त्री हूँ, मैं मो0सा0 की चोरी करके धोखाधड़ी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है, मैंने चार पाँच महीने पहले दो मो0 सा0 स्प्लेण्डर प्लस दिल्ली से चोरी की थी, जिसमें से एक मो0सा0 मैंने सड़क पर चलते राहगीर को बेच दी थी तथा उसकी नम्बर प्लेट DL 5 SCD 5430 मैंने धोखा देने के लिये इस बरामद शुदा मो0सा0 पर लगा ली थी, जबकि इस मो0सा0 का असली रजि0नं0 DLISAE5841 है, बरामद शुदा मो0सा0 का चैचिस नं0 ऐप पर डालकर चैक किया गया तो रजि0नं0 DILISAE5841 पाया गया जिसके सम्बन्ध में थाना जाफराबाद दिल्ली में ई एफआईआर नं0 17934/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है, तथा बरामद शुदा मो0सा0 पर लगी फर्जी नम्बर प्लेट रजि0नं0 DL 5 SCD 5430 को ऐप पर डालकर चैक किया गया तो इसके सम्बन्ध में थाना क्राइम ब्रान्च दिल्ली में ईएफआईआर नं0 34316/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत होना पाया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र महबूब हुसैन निवासी मौ0 लालबाग हसनपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी –

काले रंग की मो0सा0 स्प्लेण्डर प्लस जिस पर रजि०नं० DL 5 SCD 5430 की नम्बर प्लेट लगी है।

गिरफ्तारी टीम-

1. प्र0नि0 श्री राकेश कुमार ।
2. उ0नि0 विजय सिंह ।
3. है0का0 राहुल कुमार ।
4. का0 प्रदीप कुमार गंगवार ।
5. का0 मोहित कुमार।
6. का0 रोबिन राठी।



अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार थाना बहजोई-

मु0अ0सं0 06/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रोहित पुत्र दिनेश निवासी मऊ कठेर थाना बहजोई जनपद सम्भल को 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के मिर्जापुर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

02 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार थाना नखासा-

वाद सं0 10178/12 धारा 498ए/147/323/504/506 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वारण्टी अभियुक्ता 1. शबनुल पत्नी जरीफ अहमद 2. शहाना पत्नी रफीन निवासीगण ग्राम मन्नीखेडा थाना नखासा जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह व म0का0 दीपा जोशी द्वारा अभियुक्ता के घर से गिरफ्तार किया गया ।